न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : महीपाल सिंह, आर.ए.एस

वाद संख्या : 16 / 2021

निर्णय दिनांक : 10.01.2024

दीपशिखा शर्मा बनाम आनन्द प्रकाश व अन्य

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0

निर्णय

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 पेश हुई। वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ता ने बहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादिया की ओर से उनवानी दावा माननीय न्यायालय के समक्ष कृषि भूमि वाकिया खसरा नम्बर 1 रकबा 40 बीघा जिनके गत खसरा नम्बर 1 / 286, 1 / 287, 1 / 288 खसरा नम्बर कायम किये गये। तत्पश्चात खसरा नम्बर 1 / 288 व खसरा नम्बर 1 / 287 को इकजाई करते हुए हाल खसरा नम्बर 34 / 858 रकबा 0.3500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 36 रकबा 0.0400, खसरा नम्बर 37 रकबा 0.0500, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.2400, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.5200, खसरा नम्बर 40 रकबा 0.0400, खसरा नम्बर 41 रकबा 0.3800, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.3000, खसरा नम्बर 43 रकबा 0.2100, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.1900, खसरा 45 रकबा 0. 1500, खसरा नम्बर 46 रकबा 0.1700, खसरा नम्बर 47 रकबा 0.4000, खसरा नम्बर 48 रकबा 0. 3100, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.4000, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.4200, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.3000, खसरा नम्बर 55 / 880 रकबा 0.0500, खसरा 56 / 881 रकबा 0.0500, खसरा नम्बर 57 / 882 रकबा 0.0400 कुल किता 20 रकबा 4. 5900 हैक्टेयर स्थित ग्राम कल्याणपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर के सम्बन्ध में वास्ते घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण यह अनुतोष चाहते हुए कि– वादिया का वाद इस आशय से डिक्री किया जाकर वादिया को उसकी पुश्तैनी भूमि में 1 / 32 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने बंटवारा करवाने प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व लगान अलग कायम करने राजस्व व मौका की यथास्थिति बनाये रखने तथा हर्जा–खर्चा मुकदमा दिलवाने अन्य अनु[illegible] दिलवाने पेश किया है। वादिया द्वारा अपने प्रस्तुत वाद में संक्षेप में [illegible] कि विवादग्रस्त कृषि भूमि वादिया के [illegible] पुत्र श्री नारायण की क्रयशुदा स्वअर्जित [illegible] वादिया गुल्लाराम उर्फ गुलाब चन्द पुत्र श्री नारायण के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 की पु[illegible]। वाद–पत्र के अवलोकन मात्र से ही यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि वादग्रस्त भूमि गुल्लाराम पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

श्री नारायण स्वअर्जित भूमि थी जिसके प्रतिवादी 1 लगायत 8 वारिसान है। अन्य कोई वारिसान नहीं है बाद में वर्णित सम्पत्ति गुल्लाराम पुत्र नारायण की क्रयशुदा स्वअर्जित थी। जिसे गुल्ला पुत्र नारायण ने दिनांक 11/12/1992 को वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में कर दी थी। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 रिकार्डेड काबिज खातेदार हुए। जिन्होंने वाद में वर्णित भूमि को सांगानेर कॉ–ऑपरेटिव सोसायटी को विक्रय कर दी। जिस पर सरस्वती एन्कलेव नाम से आवासीय कॉलोनी विकसित होकर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भू–खण्ड धारियों को पट्टे जारी कर दिये गये। जिसका भू उपयोग परिवर्तन हो जाने से भूमि पर धारा 90बी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही होकर वर्तमान में राजस्व रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। स्वीकृत रूप से विवादग्रस्त आराजी कृषि भूमि नहीं हैं और ना ही कृषि भूमि के कार्य एवं उपयोग में ली जा रही है बल्कि आबादी के रूप में विवादग्रस्त भूमि का उपयोग वर्ष 1998 से हो रहा है। विवादग्रस्त भूमि को किसी भी प्रकार से कृषि भूमि नहीं माना जा सकता । इस कारण से माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। धारा 5 (24) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से होगा जो कृषि कार्यों अथवा तद्धीन अन्य कार्यो या उपवन चारागाह के लिए पट्टे पर दी जावे या धारणा की जावे तथा उस भूमि क्षेत्र पर स्थित मकान या बाड़ों की भूमि अथवा पानी से दकी भूमि सम्मिलित होगी। जो सिचाई के लिए अथवा सिंघाडा या तद्ममान अन्य उपज उगने के काम में ली जा सके। परन्तु उसमें आबादी भूमि सम्मिलित नहीं होगी उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि ऐसी भूमि कृषि भूमि नहीं होगी जो आबादी भूमि में सम्मिलित है एवं जो आबादी के कार्य हेतु उपयोग उपभोग में ली जा रही है। ऐसी अवस्था में विवादग्रस्त आराजी को कृषि भूमि नहीं माना जा सकता। फलस्वरूप माननीय न्यायालय को यह वाद सुनने की अधिकारिता विधिक रूप से नहीं है। जिस कारण से वाद खारिज किये जाने योग्य है। धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय के द्वारा प्रकृति सूची में विर्निष्ट प्रकार से वाद तथा प्रार्थना–पत्र की सुनवाई एवं उनका निर्णय राजस्व न्यायालय के द्वारा किया जावेगा। धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 केवल मात्र वही वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे जो कृषि भूमि से सम्बन्धित हो। वादिया के द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है उसके देखने मात्र से ही यह भलीभाति स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आबादी की भूमि है। जिस पर आवासीय कॉलोनी विकसित हो जाने के बाद भू–उपयोग परिवर्तन हो जाने से भूमि पर [illegible] राजस्व अधिनियम की कार्यवाही होकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में [illegible]पुर [illegible] प्राधिकरण के नाम दर्ज है। जो वर्ष 1998 से [illegible] है। ऐसी स्थिति में वादिया के द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] साथ ही वादकारण के अनुपस्थिति में प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है खा[illegible] फरमाने योग्य है। धारा 5 (35) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

न्यायालय से अभिप्राय: ऐसा न्यायालय या प्राधिकारी से होगा जो कृषि पट्टे धारियों तथा भूमि सम्बन्धित अन्य मामलों अथवा भूमि में किसी अधिकारिये हित विषय में ऐसे दावों या अन्य कार्यवाहियों को जिसमें उक्त न्यायालय प्राधिकारी से न्यायनुकूल कार्य करना अंकित है। ग्रहण करने की अधिकारिता रखता हो उसमें प्रस्तुत अथवा प्रत्येक सदस्य राजस्व अपील प्राधिकारी, कलेक्टर, सब डिवीजन ऑफिसर, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार या कोई नियमन पदाधिकारी जबकि वह उक्त रूपेण कार्य कर रहे हों सम्मिलित होगा। धारा 5 (35) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद को सुनवाई किये जाने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। ऐसी सूरत में यह वाद सुनने योग्य नहीं होने के फलस्वरूप निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 103 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 में यह व्याख्या की गई है कि कृषि भूमि में ऐसी भूमि सम्मिलित नहीं होगी जो स्थानीय निकायों में आबादी क्षेत्रों में होगी या जो भूमि धारा 92 के अन्तर्गत सुरक्षित रखी जाकर सेट अपार्ट की जावेगी। धारा 103 भू-राजस्व अधिनियम में यह भी व्याख्या की गई है कि आबादी क्षेत्र या आबादी जमीन से तात्पर्य उस भूमि से होगा जो गांव कस्बा या शहर की आबादी क्षेत्र में होगा एवं जो स्थानीय निकाय से आबादी के विकास प्रयोजनार्थ काम में ली जायेगी एवं जिसमें भवन का निर्माण होगा उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि जिसके सम्बन्ध में वादिया के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है वह आबादी में है एवं आबादी क्षेत्र में है एवं आबादी के रूप में उपयोग हो रही है एवं स्थानीय निकाय के प्रयोजनार्थ संचालित है। जिसमें आवासीय भूखण्ड व भवन बने हुए हैं। वाद प्रस्तुत किया गया है वह कृषि भूमि नहीं होकर आबादी की भूमि है एवं आबादी के क्षेत्र की भूमि है। इस कारण के फलस्वरूप राजस्व न्यायालय को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए वादिया के द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त किये जाने योग्य है। विवादग्रस्त भूमि में भू-खण्ड, भू-खण्ड धारियों द्वारा विकसित जा चुके हैं एवं उन पर भवन निर्माण किये जा चुके हैं एवं भू-खण्ड धारी अपने परिवार सहित बिजली पानी के कनेक्शन लेकर निवास करते आ रहे हैं। आवासीय कॉलोनी विकसित होकर सुनियोजित तरीके से सडक बिजली पानी एवं अन्य सुविधाऐं क्षेत्र के निवासियों को उपलब्ध है वादिया द्वारा जानबूझकर सही एवं वास्तविक तथ्य माननीय न्यायालय से छुपाते हुए दुर्भावना बदनीयती के साथ यह बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो किसी भी सूरत में विधि से पारित नहीं होने के फलस्वरूप एवं वादकारण के अभाव में चलने योग्य नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। वादियों को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं [illegible] बाद कारण जिस प्रकार से दर्शाया गया है वह अस्पष्ट है व वाद के [illegible] मेल नहीं खाता है एवं प्रथम दृष्ट्या ही बनावटी एवं [illegible] कारण के अभाव में वादिया का वाद खारिज किये जाने योग्य है। [illegible] वाद-पत्र में यह तथ्य जानबूझकर छुपाये हैं कि वादग्रस्त भूमि का [illegible] वर्तमान में कृषि न होकर आवासीय के रूप में हो रहा है। विधि एवं न्याय के प्रतिषादित प्रचलित सिद्धांतों के आधार पर यदि वादिया द्वारा बदनीयतीपूर्वक

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सां[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sing[illegible]
Date: 2024.02.07 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

तथ्यों का छिपाव किया गया है एवं तथ्यों को प्रकट वाद में नहीं किया है एवं वाद में जो तथ्य अंकित किये गये हैं तो ऐसे वाद को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीया/वादिया अधिवक्ता ने बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के स्कॉप व परिधी के अन्तर्गत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र संधारणीय व पोषणीय नहीं है। आपत्तियो को प्रतिवादी संख्या 1 अपने जवाबदावा में उठा सकता है। तनकीयात कायम होकर सक्षम साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही विनिश्चय किया जा सकता है। गुल्ला पुत्र श्री नारायण ने दिनांक 11.12.1992 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में कोई वसीयत नहीं की थी तथाकथित वसीयत फर्जी व कूटरचित है तथाकथित वसीयत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने तथाकथित वसीयत की कोई प्रतिलिपि माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नहीं की गई है और ना ही वादिया को तथाकथित फर्जी व कूटरचित वसीयत की कोई नकल दी गई है। गुल्ला की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 23.12.1993 को तथाकथित फर्जी व कूटरचित एवं अस्तित्वहीन वसीयत के आधार पर स्वीकृत नहीं हुआ था बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने तहसीलदार सांगानेर से साजबाज करके सर्वथा गलत तरीके से फर्जकारी नामान्तरकरण संख्या 02 विरासत के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में गलत स्वीकार करवा लिया था। गुल्ला की पत्नि श्रीमती सरस्वती देवी दिनांक 23.12.1993 को जीवित थी श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि गुल्ला का देहान्त दिनांक 08.05.2011 को हुआ थागुल्ला की विरासत का नामान्तरकरण श्रीमती सरस्वती देवी के हक में स्वीकृत होना चाहिये था। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अकेले के नाम से गुल्ला की विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं हो सकता था। उक्त नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 23.12.1993 स्वीकृति के वक्त वादिया दीपशिखा नाबालिग थी। उक्त नामान्तरकरा के कॉलम संख्या 14 में गुल्ला की विरासत का अंकन दर्ज है तथा गुल्ला का सजरा खानदान भी अंकित है परन्तु सजरा खानदान में श्रीमती सरस्वती देवी का नाम दर्ज नहीं किया गया है इसलिये अपूर्ण व अधूरा सजरा खानदान दर्ज करते हुए सर्वथा फर्जी तरीके से गुल्ला की विरासत का नामान्तरकरण तस्दीक किया गया था। उक्त नामान्तरकरण संख्या 02 दिनाक 23.12.1993 प्रारम्भ से शुन्य व अवैध है जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। उक्त नामान्तरकरण के आधार पर [illegible] प्रविष्टियाँ सर्वथा गलत व गैरकानूनी है। उक्त नामान्तरकरण संख्या [illegible] 12.1993 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील [illegible] अर्न्तगत उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना अपेक्षित है। [illegible] संख्या 1 ने तथाकथित वसीयत के बारे में गलत तथ्य अंकित किये है। [illegible]कथित वसीयत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तथाकथित वसीयत पत्रावली पर मौजूद ही नहीं है ऐसी स्थिति में तथाकथित वसीयत के तथ्यो का निस्तारण आदेश 7 नियम

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

11 जा0दी0 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता। वादिया अपने हिस्से की विवादित भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया के हिस्से की भूमि आज भी मौके पर कृषि भूमि के रूप में मौजूद है जो भूगर्भ से लेकर आसमान तक खुली है और मौके पर वादिया के फलदार वृक्ष व मवेशियो के लिए हरी घास व हरा चारा मौजूद है। वादिया के हिस्से की भूमि पर किसी भी प्रकार की सरस्वती एनक्लेव योजना का अस्तित्व नहीं है। वादिया ने अपने हिस्से की भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन कभी भी नहीं किया और ना ही ही जयपुर विकास प्राधिकरण से पट्टे प्राप्त किये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को वादिया के हिस्से की भूमि पर सरस्वती एनक्लेव नामक योजना विकसित करने एव पट्टे प्राप्त करने के कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जयपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियो व अधिकारियो से मिलकर वादिया के हिस्से की कृषि भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के खाते में दर्ज करवाई है तो वह सर्वथा गलत, गैरकानूनी व विधि विरूद्ध है इसलिये वादिया ने घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया है जिसका निस्तारण तनकीयात कायम होकर सक्षम साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही किया जाना है। आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अर्न्तगत वाद की विषयवस्तु व विवाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता। वादिया ने अपने हिस्से की भूमि का भू–संपरिवर्तन नहीं करवाया और ना ही भू–उपयोग परिवर्तन किया है। वादिया बाहमी बंटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चली आ रही है। वादिया ने अपने हिस्से की भूमि पर फलदार वृक्ष लगा रखे है तथा मवेशियो के लिए चारा/हरी घास उगा रखी है तथा सब्जियों उगा रखी है तथा बोरिंग से सिंचाई करती आ रही है। वादिया के हिस्से की भूमि आज भी मौके पर कृषि भूमि है, वादिया को अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा कराकर अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम से पृथक खातेदारी में दर्ज कराने के समस्त विधिक अधिकार हासिल है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज फरमाया जावें।

वादिया के अधिवक्ता की ओर से निम्न कानूनी दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये डी०एन०जे० 2017 (4) पेज 1772, डी0एन0 जे0 2019 (2) पेज 764, एस०ए०आर० 2018 (एस०सी०) पेज 587, डी0एन0जे0 2018 (4) पेज 1413, डब्ल्यु.एल.सी. 2019 (2) पेज 197, डी0एन0जे0 2018 (1) पेज 115, डब्ल्यु.एल.सी. 2016 (2) यु0सी0 पेज 659, 779

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया व पत्रावली मे दस्तावेजात व न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि वादिया द्वारा यह वाद बाबत् घोषणा, विभाजन [illegible] निषेधाज्ञा [illegible] में पेश किया है, प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश [illegible] में यह आपत्ति उठाई गई कि वादग्रस्त भूमि [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की स्वअर्जित सम्पति है और प्रार्थी/प्रतिवादी के [illegible]ता द्वारा उक्त आराजीयात को जरिये वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

जिसके आधार पर उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की है, इस सम्बन्ध में वादिया स्वयं द्वारा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें वादिया के दादा अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि को क्रय किया जाना साबित है इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात वादिया के दादा की स्वअर्जित भूमि है। वादिया स्वयं द्वारा वादिया के दादा स्व0 श्री गुल्लाराम की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 23.12.1993 की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा नामान्तरकरण पर टिप्पणी की है कि मुताबिक वसीयत एवं जांच मौका रिपोर्ट पटवारी अंकन सही है, इसी आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात स्व0 श्री गुल्लाराम की स्वअर्जित सम्पति है जिसको हस्तान्तरण करने का सम्पूर्ण अधिकार है, जिसके आधार पर ही स्व0 श्री गुल्लाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में की गई है। हाल राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण की है और वादग्रस्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु परिवर्तित की जा चुकी है इसलिए भी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही रहा, राजस्व न्यायालयों में केवल मात्र कृषि भूमि से सम्बन्धित विवादों की सुनवाई की जा सकती है, उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि नही रही है, इसलिए वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आता है। वादिया का कथन रहा कि नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 23.12.1993 में विरासत का नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर तस्दीक किया गया उक्त वसीयत ही फर्जी व बनावटी होना बताया है, उक्त वसीयत फर्जी या बनावटी है इसके सम्बन्ध में धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हक व अधिकार राजस्व न्यायालय द्वारा तय नही किये जा सकते है, इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है, इसलिए वादिया का वाद विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील [illegible]

निर्णय आज दिनांक 10.01.2024 को खुले न्याया[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.07 15:53:11 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)
जयपुर।